



# म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र.

1006

/म.प्र.नि.वि.वि.वि.अयोग/भोपाल/वका-1/2022-23

दिनांक 15/5/23

//आदेश//

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 पदासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 5(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग की 177 वीं सभा की बैठक दिनांक 18.08.2022 को लिये गये निर्णय के अनुक्रम में मंगलप्रतन विश्वविद्यालय, जबलपुर के मुख्य परिसर में स्थित पीएचडी पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक सत्र 2022-23 से संचालन करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

S. No	Faculty	Name of the course	Intake capacity
1.	Faculty of Science	Ph.D. in the Department of IT & Computer Science	As per Available of Research Supervisors and UGC Norms
		Ph.D. in the Department of Physics	As per Available of Research Supervisors and UGC Norms
2.	Faculty of Law	Ph.D. in the Department of Legal Studies	As per Available of Research Supervisors and UGC Norms
3.	Faculty of Management Studies & Commerce & Finance	Ph.D. in the Department of Management	As per Available of Research Supervisors and UGC Norms
		Ph.D. in the Department of Commerce of & Finance	As per Available of Research Supervisors and UGC Norms
4.	Faculty of Arts, Social Sciences and Humanities	Ph.D. in the Department of Economics	As per Available of Research Supervisors and UGC Norms
		Ph.D. in the Department of Sociology	As per Available of Research Supervisors and UGC Norms
		Ph.D. in the Department of Political Science	As per Available of Research Supervisors and UGC Norms
		Ph.D. in the Department of Psychology	As per Available of Research Supervisors and UGC Norms
		Ph.D. in the Department of Language (Hindi/English)	As per Available of Research Supervisors and UGC Norms
5.	Faculty of Agriculture	Ph.D. in the Department of Agriculture Sciences	As per Available of Research Supervisors and UGC Norms
		Ph.D. in the Department of Forestry	As per Available of Research Supervisors and UGC Norms
		Ph.D. in the Department of Horticulture	As per Available of Research Supervisors and UGC Norms

शर्तें-

1. यू.जी.सी एवं संबंधित परिषदों के मापदंडों के अनुसार अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रम को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
2. उपरोक्त पाठ्यक्रम के संचालन हेतु यू.जी.सी एवं संबंधित परिषदों के मापदंडों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ को नियुक्ति सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
3. उपरोक्त पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु यू.जी.सी एवं संबंधित परिषदों की गाईडलाइन के अनुसार दिये जायेंगे।
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से निर्धारित की गई गाईडलाइन/मापदंडों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

निर्देश 2

5. विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल के द्वारा समय - समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।
7. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक परिषदों से ग्रेडिंग/मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त कराना होगा।
8. यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित मूल्यांकन विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संचारित कराना होगा।
9. पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनिश्चितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की गंभीर न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।
10. संबंधित परिषदों के समस्त मापदंडों एवं नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायें।

(मा.अध्यक्ष महो. द्वारा अनुमोदित)

  
(डा.प्रदीप श्रीवास्तव)  
सदस्यअकादमिक  
म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

पं.क्रमांक \_\_\_\_\_ / म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग/भोपाल/अका-1/2022-23  
प्रतिलिपि

1. निज सहायक के माध्यम से मा. अध्यक्ष महो.म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग भोपाल।
2. कुलसचिव, मंगलायतन विश्वविद्यालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी शुल्क नियतन प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. मूल नस्ति।

/  
सदस्यअकादमिक  
म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल